(77)

नि.प्र.क्र.   /12–13

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प, इन्दौर के समक्ष

श्रीमती अनिता पति श्री अनिल चन्देल भील
निवासी – ग्राम माचला तहसील एव जिला इन्दौर (म.प्र.)
हालमुकाम – 278/15, नन्दानगर, इन्दौर (म.प्र.)   ... प्रार्थी

विरूद्ध

1) म.प्र. शासन द्वारा
तहसीलदार तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

2) बुधियाबाई पति प्यारेलाल मृतक तर्फे वारिसगण
अ) दयाराम पिता श्री प्यारेलाल जाति भील
नि. – 3, श्रीराम धाम ग्राम माचला तह. व जि. इन्दौर (म.प्र.)
ब) रामकुंवरबाई पिता श्री प्यारेलाल भील
नि. – 1, श्रीराम धाम ग्राम माचला तह. व जि. इन्दौर (म.प्र.)
स) दुर्गाबाई पिता श्री प्यारेलाल भील
नि. – 3, श्रीराम धाम ग्राम माचला तह. व जि. इन्दौर (म.प्र.)
द) पार्वतीबाई पिता श्री प्यारेलाल भील
नि. – 92, मालीखेड़ी, तह. हुजूर व जि. भोपाल (म.प्र.)
इ) बसंतीबाई उर्फ गुड्डीबाई पिता श्री प्यारेलाल भील
नि. – 115, खैरिया केशर बरेठा जिला ग्वालियर (म.प्र.)
ई) कुसुमबाई पिता श्री प्यारेलाल भील
नि. – 68, प्रकाशचन्द्र सेठी नगर, इन्दौर (म.प्र.)   ... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

इसमें प्रार्थी श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 42/अ–74/12–13 में पारित आदेश दिनांक 24/07/2013 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करती है।

प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :–

यह कि, तहसीलदार इन्दौर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी इन्दौर के माध्यम से इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि, ग्राम माचला तहसील इन्दौर स्थित शासकीय भूमि सर्वे नंबर 155, 156, 157, 244, 245, 246, 247, 248 हरिजन भूमिहीन सोसायटी एवं ग्राम भूमि हिन व्यक्तियों को पट्टेदारों को पट्टे पर आबंटित की गई परन्तु उक्त भूमियों अहस्तांतरणीय स्वरूप की होने के पश्चात ही अवैधानिक तरीके से शासकीय पट्टेधारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय एवं नामांतरित कर दी गई इसलिए उपरोक्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3592-दो/13 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-1-2019	आवेदिका की ओर से श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदिका क्रमांक 2 मृतक के वारिस क्रमांक ब, द अपने अभिभाषक श्री संतोष खोवारे के साथ उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदिका द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 13-3-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । शेष अनावेदकों को सूचना दिया जाये । अध्यक्ष	